

**अधिसूचना संख्या 168/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1955(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 591(ई) दिनांक 20 अगस्त, 1997 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 2 पर, "अंजलि (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास सोसायटी), पोस्ट - रानासन, वाया हरसोल, तालुका - प्रांतिज, साबरकांठा, गुजरात - 383305" द्वारा "रानासन-हरसोल-साबरकांठा, गुजरात में ट्यूटोरियल और बच्चों की गतिविधि हॉल / कम्पाउंड वॉल, उपकरण, वाहन, फर्निशिंग और अंजलि अस्पताल, टीबी सेंटर और बच्चों और शैक्षिक गतिविधियों का संचालन" को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 872(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 350(ई) दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1003(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 241(ई) दिनांक 21 जनवरी, 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ संख्या 1092(ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एसओ 1003(ई) दिनांक 5 जुलाई, 2006 द्वारा अनुमानित लागत 33.00 लाख रुपये तथा 25.00 लाख रुपये की एक मूल निधि से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये की एक मूल निधि सहित 171.00 लाख रुपये कर दी गई थी और अधिसूचना संख्या एसओ 1140(ई) दिनांक 18 मई, 2010 द्वारा परियोजना लागत 25 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि सहित 171 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की एक आधारभूत निधि सहित 571 लाख रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम अठारह वर्ष से अधिक अवधि तक विस्तारित होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, "रानासन-हरसोल-साबरकांठा, गुजरात में ट्यूटोरियल और बच्चों की गतिविधि हॉल / कम्पाउंड वॉल, उपकरण, वाहन, फर्निशिंग और अंजलि अस्पताल, टीबी सेंटर और बच्चों और शैक्षिक गतिविधियों का संचालन" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "अंजलि (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास सोसायटी), पोस्ट - रणसन, वाया हरसोल, तालुका - प्रांतिज, साबरकांठा, गुजरात - 383305" द्वारा रुपये के एक आधारभूत निधि सहित 571 लाख की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना किया जा रहा है। 25 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले ऋण को, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

■■